न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 17/2012 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :– आशिक अली पुत्र स्व.श्री हैदरअली जाति मुसलमान निवासी चक 7 एस.एल.डी. राणेर तहसील छतरगढ जिला बीकानेर।

———अपीलान्ट

——बनाम——

स्टेट ऑफ राजस्थान

———रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः– हनुमान गोदारा अभिभाषक अपीलांट

उपस्थित :– श्री गजेन्द्रसिंह सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 16.9.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के आदेश दिनांक 01.02.2012, जिसमें उप खण्ड मजिस्ट्रेट (उत्तर) बीकानेर से जारी अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 14/86 के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 14/86 बना हुआ है, जिस पर 12 बोर एसबीबीएल गन नं. 32804 दर्ज है, जो दिनांक 31.12.2008 तक नवीनीकृत है, जिसे आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण करवाने हेतु मजिस्ट्रेट, बीकानेर के समक्ष दिनांक 02.01.2009 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 830 दिनांक 10.08.2009 में "आवेदक के विरूद्ध अभियोग संख्या 35/2000 अन्तर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 120बी भादंसं पीएस सदर में दर्ज होकर चालान अदालत में पेश किया गया है जैरे तजवीज अदालत है। आवेदक का स्वभाव उग्र व संदिग्ध प्रतीत है। आवेदक के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 14/86 को नवीनीकरण की अनुशंषा नहीं की जाती है" की टिप्पणी गयी, जिस पर न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर ने जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आदेश दिनांक 01.02.2012 से अपीलांट का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट तथा राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत कर मुख्य रूप से कथन किया है कि प्रकरण में वर्ष 2009 के बाद अपीलांट ने अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 14/86 को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण करवाने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 2.1.09 को अति.जिला मजिस्ट्रेट,(नगर) बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया था। वर्ष 2009 से लेकर दिनांक 01.02.2012 तक प्रार्थी को कोई सूचना नहीं दी गई और ना ही प्रार्थी को इस बात का ज्ञान हुआ कि उसके लाईसेंस का क्या हुआ और ना ही कोई सुनवाई का मौका दिया गया। कानूनन यह जरूरी था कि प्रार्थी का लाईसेंस नवीनीकरण न करने की सूरत में उसे सुनवाई का मौका दिया जावे, ऐसा ना करके अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 01.02.12 में यह कहीं पर भी दर्ज नहीं किया है कि अनुज्ञा अधिनियम की धारा 17 से कौन से सब–सेक्शन के तहत अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है । पुलिस अधीक्षक द्वारा जो जांच रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय को भेजी गई है उसमें स्पष्ट रूप से यह दर्ज किया है कि मुकदमा जैर तजवीज अदालत है। अपीलांट के विरूद्ध आर्म्स एक्ट का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। अपीलाधीन आदेश में यह दर्ज करना कि आवेदक का स्वभाव उग्र व संदिग्ध प्रतीत होता है, ऐसा कोई साक्ष्य पुलिस अधीक्षक, बीकानेर के पत्र के साथ संलग्न नहीं है। अपीलांट का लाईसेंस सन् 2000 से लगातार नवीनीकरण होता आ रहा है और 2008 तक लाईसेंस रिन्यू था इससे भी यह साफ साबित होता है कि अपीलांट आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति नहीं है। यहकि प्रार्थी के विरुध्द धारा 420, 467, 468, 120–बी का मुकदमा सं0 357/17 न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नं01, बीकानेर में विचाराधीन था, जिसमें दिनांक 8.3.18 को निर्णय करते हुए प्रार्थी अपीलान्ट को आरोपों से दोषमुक्त घोषित किया गया है जिससे यह साफ हो गया है कि अपीलान्ट अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति नहीं है । अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 14.02.2012 को हुई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील मियाद में शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर की रिपोर्ट में अपीलांट के विरूद्ध भादंसं के अन्तर्गत आपराधिक प्रकरण मुकदमा सं. 35/2000 न्यायालय में विचाराधीन होना बताते हुए शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 14/86 निरस्त किया गया है, जो उचित है । अपीलान्ट के विरुध्द दर्ज मुकदमा में न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को दोषमुक्त घोषित किया है, परन्तु जिला पुलिस अधीनक्षक ने अपनी जांच रिपोर्ट अपीलान्ट का स्वभाव उग्र व संदिग्ध बताया गया है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट तथा राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक द्वारा की गई बहस एवं अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत हुई है, धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर की रिपोर्ट दिनांक 10.8.09 जिसमें अपीलांट के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 120बी के अन्तर्गत अभियोग सं. 35/2000 के न्यायालय में विचाराधीन होने एवं अपीलांट का स्वभाव उग्र व संदिग्ध प्रतीत होने का आधार लेते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 14/86 का नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा किये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.2.12 पारित कर अपीलान्ट का उक्त लाईसेंस निरस्त किया गया है। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने निर्णय की प्रति प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी के विरुध्द धारा 420, 467, 468, 120–बी का मुकदमा सं0 357/17 न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नं0 1, बीकानेर में विचाराधीन था, जिसमें दिनांक 8.3.18 को निर्णय करते हुए प्रार्थी अपीलान्ट को आरोपों से दोषमुक्त घोषित किया गया है, जिससे यह साफ हो गया है कि अपीलान्ट अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति नहीं है। परन्तु जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 830 दिनांक 10.8.09 में "आवेदक का स्वभाव उग्र व संदिग्ध प्रतीत है।" तथा "शस्त्रअनुज्ञा पत्र संख्या 14/86 नवीनीकरण की अनुशंसा नहीं की जाती है। की " टिप्पणी की हुई है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसी को आधार मानते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने

अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इसके अलावा अपीलांट ने हमारे समक्ष कोई नवीन साक्ष्य सबूत वरवक्त सुनवाई पेश नहीं किये हैं, जिन पर विचार किया जा सके।

7. उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.02.2012 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है।

8. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मिसल बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 16.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर